

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/2/2011

दिनांक : 24.12.2011

:- संशोधन आदेश :-

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24.12.2011 के पृष्ठ संख्या 12 पर अंकित शर्त "इन्हें आदेश प्रसारित होने की तिथि से अधिकतम तीन दिवस अर्थात् दिनांक 28.12.2012 तक उनके नाम के सम्मुख जिले के जिला कलेक्टर के कार्यालय में कार्यग्रहण करना होगा" के स्थान पर "इन्हें आदेश प्रसारित होने की तिथि से अधिकतम तीन दिवस अर्थात् दिनांक 28.12.2011 तक उनके नाम के सम्मुख जिले के जिला कलेक्टर के कार्यालय में कार्यग्रहण करना होगा" संशोधित कर पढ़ी जावे।

नियुक्ति आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
- 2) निजी सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 3) निजी सचिव, माननीय चिकित्सा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
- 4) उप सचिव एवं निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
- 5) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 6) समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, राजस्थान
- 7) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 8) शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान, जयपुर।
- 9) निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।
- 10) रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- 11) समस्त प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज, राजस्थान
- 12) संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन, संबंधित।
- 13) रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल काउंसिल, जयपुर।
- 14) समस्त जिला कलेक्टर
- 15) संबंधित चिकित्सक को विभाग की बेवसाईट <http://www.rajswasthya.nic.in> के माध्यम से सूचनार्थ।
- 16) आदेश पत्रावली/ निजी पत्रावली।

शासन उप सचिव